## FORM 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State) From Neem Ka Thana (38) Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that —

SHRI SURESH MODI, MAYA BHAWAN, WARD NO. 23 CHHAWANI, NEEM KA THANA DISTRICT- SIKAR sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (name of the recognized /registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: SIKAR

DATE: DECEMBER 11, 2018

(NARESH SINGH TANWAR)
RETURNING OFFICER

SUB DIVISIONAL OFFICER & SUB DIVISIONAL MAGISTRATE, NEEM KA THANA
38 – NEEM KA THANA ASSEMBLY CONSTITUENCY

## प्ररूप 21 ग

## (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए जब स्थान संविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा। राजस्थान (राज्य) के नीमकाथाना (38) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्री सुरेश मोदी माया भवन, वा. नं. 23 छावनी, नीमकाथाना, जिला—सीकर इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा प्रयोजित (मान्यता प्राप्त / राजनैतिक दल का नाम) को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान :- सीकर

तारीख:- 11 दिसम्बर, 2018

(नरेश <del>सिंह</del> तंवर) रिटर्निंग ऑफिसर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना 38 — नीमकाथाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र